प्रेस नोट

दिनांक- 02.09.2026

थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा बिना जानकारी के खाते में लोन कराकर धनराशि निकालने वाले अभियुक्त को हरियाणा से किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 255/2024 से संबंधित प्रकाश में आए आरोपी अभियुक्त रमीजुल हुसैन पुत्र मुबारक मियां की गिरफ्तारी हेतु पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में तकनीकी एवं मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त रमीजुल हुसैन को विस्ट्रो फूड सेन्टर, सेक्टर-40, जनपद हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी परमानन्द तिवारी पुत्र स्व0 राममणि तिवारी निवासी ग्राम कमडावां, थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा द्वारा थाना खरगूपुर पर तहरीर दी गयी कि बिना जानकारी के उसके खाते में लोन करके 6 लाख रूपये भेज दिए गये है। तथा बाद में कई बार में लोन की धनराशी निकाल ली गयी है। तथा उनके सैलरी के 21 हजार रूपये भी निकाल लिया गया है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। प्रकरण की विवेचना के दौरान अभियुक्त रमीजुल हुसैन पुत्र मुबारक मियां का नाम प्रकाश में आया। पुलिस द्वारा अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में तकनीकी/मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त रमीजुल हुसैन को विस्ट्रो फूड सेन्टर, सेक्टर 40 जिला हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रमीजुल हुसैन पुत्र मुबारक मियाँ निवासी मकान न0 06 सलमारा दिनहाटा नाजिर हाट मुर्निया प्रथम खण्ड थाना साहबजंग जिला कूचविहार राज्य पश्चिम बंगाल हालपता सी0 ब्लाक उदय नगर सेक्टर 45, थाना सेक्टर 40 जिला गुरूग्राम हरियाणा ।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0- 255/2024 धारा- 319(2), 318(4), 338, 336(3) बीएनएस थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 अभय नारायण यादव
2. का0 जगदीश कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट*

दिनांक 02.09.2026

थाना कौडिया पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तारः-

कार्यवाही-

थाना कौडिया पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मु0अ0सं0 183/2026 धारा 137(2), 65(1) बीएनएस एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त रिजवान पुत्र जीतू खाँ उर्फ सलीम खाँ को ग्राम पैडीबरा अण्डरपास के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27.08.2026 को थाना छपिया क्षेत्रान्तर्गत रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना कौडिया पर लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी पुत्री उनके रिस्तेदार के घर साइकिल खड़ा करके कौडिया बाजार गयी थी , लेकिन वापस घर नहीं आई। वादी द्वारा पुत्री की काफी खोजबीन की गई तथा नाते-रिश्तेदारों एवं परिचितों के यहां पता किया गया, कुछ लोगो द्वारा बताया गया कि उनकी पुत्री को रिजवान पुत्र जीतू खाँ द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले गया है। तहरीर के आधार पर थाना कौडिया में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें आज दिनांक 02.09.2026 को थाना कौडिया पुलिस टीम द्वारा वांछित चल रहे आरोपी अभियुक्त रिजवान पुत्र जीतू खाँ उर्फ सलीम खाँ को ग्राम पैडीबरा अण्डरपास के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रिजवान पुत्र जीतू खाँ उर्फ मो0सलीम खाँ निवासी ग्राम महापारा थाना कौडिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 183/2026 धारा 137(2), 65(1) बीएनएस एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना कौडिया, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

1. उ0नि0 शेषनाथ पाण्डेय
2. का0 रिषित कुमार
3. का0 सुमित मिश्रा

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 02.09.2026

गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियुक्त की अपराध से अर्जित अवैध सम्पति (XUV कार व HF डीलक्स मोटीसाइकिल) कीमत 6,70,000/- रुपये की धनराशि कुर्क-

जनपद गोण्डा में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी अंकुश लगाने तथा संगठित अपराध में संलिप्त व्यक्तियों के आर्थिक स्रोतों को ध्वस्त करने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मनकापुर पुलिस द्वारा बड़ी कार्यवाही की गयी है। इसी क्रम में संगठित गिरोह बनाकर धोखाधड़ी कर बेईमानी से रंगदारी वसूलने के अपराध कारित कर अवैध धन अर्जित करने वाले अभियुक्त 01. शिवम त्रिपाठी उर्फ शिवम पण्डित उर्फ मोनू पुत्र स्व0 वीरेन्द्र त्रिपाठी नि0 ग्राम सुनसुनिया बेलभरिया रामगुलाम थाना पैकोलिया जनपद बस्ती व 2. फ़ीरोज़ अहमद पुत्र मेवालाल निवासी मल्हीपुरवा थाना छपिया जनपद गोण्डा के विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्यों एवं अभिलेखों के आधार पर अवैध अर्जित संपत्ति के संबंध में रिपोर्ट तैयार कर सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित की गयी थी। पारित आदेश के अनुपालन में धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अंतर्गत राजस्व विभाग एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा प्रभावी जब्तीकरण/कुर्की की कार्यवाही संपन्न की गयी। इस दौरान अभियुक्त शिवम त्रिपाठी उर्फ शिवम पण्डित उर्फ मोनू के XUV कार UP51BD1223 कीमत 6,50,000/- रुपये व अभियुक्त फिरोज अहमद के HF डीलक्स मोटिसाइकिल UP43AQ0460 कीमत 20,000/- रुपए की कुर्क की गयी। गोण्डा पुलिस की इस कार्यवाही से यह स्पष्ट संदेश गया है कि संगठित अपराध कर अवैध संपत्ति अर्जित करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा तथा उनके आर्थिक तंत्र को विधिक प्रावधानों के तहत ध्वस्त किया जाएगा। जनपद गोण्डा पुलिस द्वारा गैंगस्टरों एवं समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध उनके आपराधिक कृत्यों से अर्जित अवैध संपत्तियों के चिन्हीकरण, कुर्की एवं जब्तीकरण की कार्रवाई आगे भी निरंतर, कठोर एवं प्रभावी रूप से जारी रहेगी।

जब्त सम्पत्ति का विवरण-

1. XUV कार UP51BD1223 कीमत रुपये 6,50,000/-
2. HF डीलक्स मोटिसाइकिल UP43AQ0460 रुपए 20,000/-

अभियुक्त शिवम त्रिपाठी उर्फ शिवम पंडित उर्फ मोनू के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 04/2026 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर अधिनियम थाना छपिया जनपद गोण्डा।

अभियुक्त फिरोज अहमद के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 228/2025, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर अधिनियम थाना छपिया जनपद गोण्डा।

सीज/कुर्की करने वाली टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री तेज प्रताप सिंह थाना मनकापुर मय टीम।
2. व0उ0नि0 परशुराम सिंह।
3. राजस्व टीम ।

मीडिया सेल, गोण्डा

प्रेस नोट

दिनांक 02.09.2026

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा आगामी त्यौहार कजरीतीज की तैयारियों को लेकर सरयू घाट करनैलगंज का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, घाट पर श्रद्धालुओं के समस्त सुरक्षा प्रबंधों को पुख्ता करने के दिए आवश्यक दिशा निर्देश।

आगामी कजरी तीज पर्व के दृष्टिगत जनपद गोण्डा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुगम आवागमन को लेकर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अभिषेक द्वारा सरयू घाट, करनैलगंज का स्थलीय भ्रमण कर आगामी पर्व के दौरान श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ एवं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया।

भ्रमण के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घाट की सुरक्षा व्यवस्था, श्रद्धालुओं के आवागमन, भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक सुरक्षा प्रबंधों का निरीक्षण किया गया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूर्ण कराने एवं किसी भी आकस्मिक परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क एवं तैयार रहने के निर्देश दिए गए। घाट एवं आसपास के क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, प्रभावी भीड़ नियंत्रण, यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने तथा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया । पर्व के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो तथा श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने एवं लगातार निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए गए।

मीडिया सेल, गोण्डा ।